न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 112/2020

अनवान : –

1. प्रवीना पुत्री सुभाष उम्र 15 वर्ष नाबालिग जरिये बली माता खुद सुनीता पत्नी सुभाष जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ हाल निवासी किशनपुरा ढाणी जाटान तहसील ऐलानाबद जिला सिरसा।
2. यूवराज पुत्र सुभाष उम्र 12 वर्ष नाबालिग जरिये बली माता खुद सुनीता पत्नी सुभाष जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ हाल निवासी किशनपुरा ढाणी जाटान तहसील ऐलानाबद जिला सिरसा।

– सायल

बनाम्

1. चान्दीराम पुत्र तखुराम जाति कुम्हार निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. उप पजीयन कार्यालय रामगढ़ तहसील नोहर।

– गैरसायलान

<u>प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.</u>

उपस्थिति :– श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता **सायल**
श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **गैरसायल**

<u>निर्णय</u> दिनांकः 26/9/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी के पिता मृतक सुभाष के पड़दादा की गणत पुत्र लेखु की रोही मौजा 18 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 52/50 की 3.9220 हैक्ट भूमि में से 3829/19610 हिस्सा, रोही मौजा 3 आरएमजी तहसील नोहर के खाता संख्या 43/41 की कुल 1.5180 हैक्ट भूमि में से 203/1012 हिस्सा भूमि, रोही मौजा 16 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 80/68 की कुल 2.2770 हैक्ट भूमि में से 123/1265 हिस्सा भूमि अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि पूर्व में प्रार्थीगण के पड़दादा गणपत पुत्र लेखू के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड थी गणपत की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों के नाम दर्ज हुई जिसमें गैरसायल स0 1 के पिता तखुराम के नाम उक्त भूमि दर्ज हुई। तखुराम की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र व पुत्रीयों के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हुई। तखुराम की मृत्यु की पश्चात चुंकि परिवार का मुखिया गैरसायल स0 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण तन्हा अकेले के नाम उक्त भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज हो गयी । पैतृक भूमि होने के कारण सायलान का वादग्रस्त भूमि में जन्म से हक व हिस्सा है जिसमें ायलान अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। सायलान का पिता उनके बाल्यकाल में ही [illegible] हो गये है तथा अब भी नाबिलग है तथा अपनी माता के साथ अकेले रहते है तथा [illegible] एक चतुर व चलाक व्यक्ति है अगर वो उक्त भूमि में उनका हिस्सा अन्य किसी कदर मुन्तकिल कर देता [illegible] उन्हें न पुरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी भरपाई किसी कदर सम्भव नही है ऐसी सुरत में गैरसायल स0

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:58:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

1 के खिलाफ इस आशयों की अस्थाई निषेघाज्ञा जारी की जावें कि वो वादग्रस्त भूमि को किसी कदर रहन, बैय व मुन्तकिल न करें।

अतः प्रार्थना पत्र मय हल्फनामा सायलान पेश कर निवेदन है कि ताफैसला दावा गैरसायल स0 1 के खिलाफ इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमावें की वादग्रस्त भूमि रोही मौजा 18 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 52/50 की 3.9220 हैक्ट भूमि में से 3829/19610 हिस्सा, रोही मौजा 3 आरएमजी तहसील नोहर के खाता संख्या 43/41 की कुल 1.5180 हैक्ट भूमि में से 203/1012 हिस्सा भूमि, रोही मौजा 16 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 80/68 की कुल 2.2770 हैक्ट भूमि में से 123/1265 हिस्सा भूमि अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज है को अप्रार्थी स0 1 रहन, बैय व मुन्तकिल करने से निषिद्ध रहें एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा 18 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 52/50 की 3.9220 हैक्ट भूमि में से 3829/19610 हिस्सा, रोही मौजा 3 आरएमजी तहसील नोहर के खाता संख्या 43/41 की कुल 1.5180 हैक्ट भूमि में से 203/1012 हिस्सा भूमि, रोही मौजा 16 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 80/68 की कुल 2.2770 हैक्ट भूमि में से 123/1265 हिस्सा भूमि अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज है, में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 इस आशय की जारी की गई कि अप्रार्थी स0 1 रिकार्ड की यथस्थिति बनाए रखें।

अप्रार्थी स0 1 द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया की उक्त विवादित भूमि उत्तरदाता की खुद की पैदा कर्ता भूमि है सायल व दावा में दर्ज प्रतिवादीगण उत्तरदाता की सेवा चाकरी नही करते है अप्रार्थी स0 1 के पास इस भूमि के अलावा अन्य कोई भी आमदनी का जरिया नही है इसलिए उत्तरदाता के जीवनकाल में किसी प्रकार से हक नही दिया जा सकता है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है:–

1. प्रथम दृष्टया मामला :– प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वाद पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से विश्वास करने का प्रर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त अराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया अराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हों, इस का अर्थ यह नही है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जावें क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वाद[illegible] पूर्व में प्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज रही है और उसके बाद प्रार्थी[illegible] की वर्तमान में भी प्रार्थी के दादा के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है अर्थात [illegible] प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा पर्चाखतौनी ग्राम रामगढ़ राजस्थान कोलोनाइजेशन [illegible]भाग, पर्चा खतौनी ग्राम रामगढ़ चक 16 डीपीएन, 18 डीपीएन से प्रथम दृष्टया पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। हस्तगत प्रकरण में वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:58:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरूसी सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा। वाद भूमि प्रथम दृष्टया पैतृक होने के कारण न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

2. सुविधा का सन्तुलन– सुविधा के सन्तुलन से तात्पर्य है कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या अप्रार्थी को। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी स0 1 विवादित अराजी का काश्तकार है परन्तु पैतृक भूमि होने के कारण प्रार्थीगण का भी वादग्रस्त भूमि में जन्मजात हक व हिस्सा है।। प्रार्थीगण का अप्रार्थी0 1 के विरूद्ध दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। ऐसी स्थित में न्यायालय के अभिमत में यदि अराजी को रहन बैय की जाती है तो प्रार्थी को असुविधा होगी क्योंकि प्रार्थीगण का भी उक्त पैतृक भूमि में हक व हिस्सा है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

3. अपूर्णीय क्षति– अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक तात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नही की जा सकती। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है अतः अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण को होगी न की अप्रार्थी को।

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा 18 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 52/50 की 3.9220 हैक्ट भूमि में से 3829/19610 हिस्सा, रोही मौजा 3 आरएमजी तहसील नोहर के खाता संख्या 43/41 की कुल 1.5180 हैक्ट भूमि में से 203/1012 हिस्सा भूमि, रोही मौजा 16 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 80/68 की कुल 2.2770 हैक्ट भूमि में से 123/1265 हिस्सा भूमि अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज है, उक्त भूमि में प्रार्थीगण के हक व हिस्से की हद तक न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि को रहन, बैय अथवा मुन्तकिल करने से निषेद्य रहें। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 26/12/23 मेरे [illegible] जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:58:10 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)